श्री सुभाष ठाकुर, माननीय सदस्य द्वारा नियम–130 के अन्तर्गत उठाए गए प्रस्ताव से सम्बन्धित सूचना

प्रस्ताव

"भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना से जुड़ा कोई भी कार्यालय इस समय बिलासपुर में स्थापित नहीं है। इस परियोजना से जुड़े मसलों को हल करने के लिए कलेक्टर जिला बिलासपुर को बार–बार चंडीगढ़ जाना पड़ता है जिससे जहाँ जिले के कार्य प्रभावित हो रहे है वहीं परियोजना से प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने में भी दिक्कतें आ रही है सरकार जनहित में इस बारे में आवश्यक निर्णय ले या वांछित नीति बनाएं ताकि इस परियोजना का कार्य लगभग 150 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में स्थापित कार्यालय से नियंत्रित न होकर, नजदीक से इसकी देखरेख हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन परियोजना के लिए आर.वी.एन.एल. का कार्यालय बिलासपुर में व्यास सदन बिलासपुर नजदीक उपायुक्त कार्यालय में पहले से मौजूद है तो ये कहना गलत होगा कि जिला अधिकारी बार–बार चंडीगढ़ में आर.वी.एन.एल. कार्यालय जाते हैं जबकि जिला कर्मचारियों को कभी–कभार ही आर.वी.एन.एल. के कार्यालय चंडीगढ़ जाना पड़ता है। वर्तमान में, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला राजस्व विभाग द्वारा निपटाई जा रही है जिसे प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समन्वयित किया जा रहा है।

इस कार्य के निष्पादन हेतु वर्तमान में भू–अर्जन अधिकारी (रेलवे), बिलासपुर के कार्यालय में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा

निम्न हैः–

क्र0 स0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	भू–अर्जन अधिकारी	1	1	––
2	नायब तहसीलदार	1	–	1
3	कानूनगो	2	3	नायब तहसीलदार के उपरोक्त पद के विरूद्ध एक अतिरिक्त कानूनगो कार्यरत है
4	पटवारी	5	5	–
5	वरिष्ठ सहायक	1	1	–
6	लिपिक/ कम्पयूटर ऑपरेटर	1	1	–
7	सेवादार	2	2	–
8	चेनमेन	10	2	आवश्यकता के अनुसार केवल 2 ही चेनमेन कार्यरत्त है।

इसके अतिरिक्त रेल विकास निगम लिमिटेड बिलासपुर के कार्यालय में रेल विकास निगम द्वारा नियुक्त अधिकारियों का ब्यौरा निम्न हैः–

1 श्री अनुराग रत्न, एस.एस.ई.
2 श्री सन्तोष कुमार, एस.एस.ई.
3 श्री विकास, एस.ई.

इसके अतिरिक्त प्रदेश में जहां पर रेल निर्माण के कार्य चल रहें हैं, में क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत्त है।

भानुपल्ली–बिलासपुर बेरी रेल लाईन (63.1 किलोमीटर लम्बाई) की लागत में 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करेगी परन्तु यदि भूमि की लागत मु0 70 करोड़ रूपये से अधिक होगी तो उसे भी राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा। दिनांक 20.02.2022 तक भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी रेल लाईन के लिए कुल मु0 2738.05 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें मु0 2247.95 करोड़ रूपये रेलवे द्वारा तथा मु0 490.10 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022–23 में भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए मु0 1868 करोड़ रूपये आबंटित किये हैं।

भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भूमि अधिग्रहण की स्थिति

- किमी 0 से किमी 20 तक पूरी जमीन का कब्जा आर.वी.एन.एल. को सौंप दिया गया है।

- किमी 20 से कि0मी0 52 तक कुल 82.887 हेक्टेयर निजी भूमि में से बातचीत से 39.177 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण 7 गांवों में किया गया है। 23 गांवों में 43.71 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समूह की सिफारिश और भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करने के लिए अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिनांक 02/02/2022 को अधिसूचना जारी की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दिनांक 19/02/2022 को इस भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 11 (1) के तहत भी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 86.03 हेक्टेयर सरकारी भूमि का कब्जा आर. वी.एन.एल. को सौंप दिया गया है।

- किमी 52 से कि0मी0 63 तक, सरकार द्वारा दिनांक 31/1/2022 को 10 गांवों में 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु एस.आई.ए. अध्ययन करने की अधिसूचना जारी की गई है और अध्ययन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त एफ.सी.ए. के तहत 12 हेक्टेयर सरकारी भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव नोडल अधिकारी को दिनांक 31–01–2022 को प्रस्तुत किया गया है।

भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की कार्य प्रगति की स्थिति

- 7 सुरंगों और 36 पुलों का निर्माण शुरू हो गया है और प्रगति पर है और 3 सुरंगों के निर्माण का काम नवंबर 2021 में आबंटित किया गया है।

भारत के संविधान अनुसार रेलवे केन्द्रीय सरकार का विषय है, जिस विषय पर कोई कानून अथवा नीति बनाया जाना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की सरकारों के परामर्श एवं प्राथमिकताओं को अधिमान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्तमान में तीन नैरो गेज रेल लाइनें उपलब्ध हैं जिनमें 95.60 किलोमीटर लम्बाई की शिमला–कालका रेल लाइन, 164 किलोमीटर लम्बाई की पठानकोट–जोगिन्द्रनगर रेल लाइन तथा 60 किलोमीटर लम्बाई की नंगल बांध–ऊना–तलवाड़ा रेल लाइन शामिल है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य रेल परियोजनाओं में 28.31 किलोमीटर चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाईन, जिसका 3.536 किलोमीटर भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, शामिल है तथा इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाइन को भारत सरकार के रेलवे मन्त्रालय द्वारा 6 जून, 2019 को "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में घोषित किया गया है। इस परियोजना की लागत को भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार 50–50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में वहन करेगी। परियोजना के लिए 20.02.2022 तक कुल मु0 480.97 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी थी, जिसमें मु0 301.40 करोड़ रूपये रेलवे द्वारा तथा मु0 179.57 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022–23 में चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाइन के लिए मु0 450 करोड़ आबंटित किया है।

महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा नई प्रस्तावित रेल लाईन 54.1 किलोमीटर की ऊना–हमीरपुर नई ब्रॉड–गेज लाईन तथा 475 किलोमीटर लम्बाई की बिलासपुर–मण्डी–लेह नई ब्रॉड–गेज लाइन, जिसका 277.5 किलोमीटर का ट्रैक हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, के लिए भी केन्द्र सरकार से मामले उठाये गये हैं, जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने पांवटा साहिब से जगाधरी तक सर्वेक्षण करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है जो कि उनके विचाराधीन है। राज्य सरकार प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तारीकरण के लिए दृढ़ संकल्प है तथा इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय से कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुकम्पा करें।